शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./आईईडी/2011—12/981 भोपाल, दिनांक 27/1/12

प्रति,

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ जिला स्त्रोत केन्द्र,
समस्त जिले (म.प्र.)।

विषयः—सर्व शिक्षा अभियान—समावेशित शिक्षा अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण ।
संदर्भः—इस कार्यालय का पत्र क./राशिके/आईईडी/2011/3420 भोपाल दिनांक 26.5.2011

सर्वशिक्षा अभियान—समावेशित शिक्षा अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा स्तर के प्रति विकासखण्ड 30 शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आपकी संस्था के माध्यम से आयोजित किया जाना है । इस हेतु संदर्भित पत्र के तहत वार्षिक कार्य योजना 2011—12 अन्तर्गत आईईडी की गतिविधि बिन्दु क. 6 पर उपलब्ध राशि से प्रशिक्षण का आयोजन संलग्न नार्म्स के अनुसार करें। प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए—

1 शिक्षकों हेतु आयोजित किये जाने वाले 5 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रारंभिक शिक्षा स्तर की उन्हीं शालाओं के शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए जहाँ वास्तविक रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसी शालाओं के शिक्षक भी शामिल किए जाए जहां जिले के CWSN छात्रावास के बच्चे अध्ययनरत हों।

2 यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि शिक्षकों का चयन प्रशिक्षण हेतु इस प्रकार किया जाए कि विद्यालय बंद न हो तथा बच्चों का पठन—पाठन नियमित रूप से होता रहे।

3 यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रशिक्षण के कारण प्रतिभापर्व द्वितीय चरण के मूल्यांकन में कोई बाधा न हो तथा डाइट द्वारा आयोजित अन्य कोई शिक्षक प्रशिक्षण प्रभावित होने की स्थिति में इन प्रशिक्षण तिथियों से भिन्न तिथियों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है किन्तु यह प्रशिक्षण अनिवार्यतः 15 फरवरी 2012 तक सम्पन्न हो जाए।

4 शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन विकलांगता क्षेत्र मे पी.जी.पी.डी. प्रशिक्षित व्याख्याताओं/शिक्षकों, मोबाईल स्त्रोत सलाहकारों, जिले हेतु SSA-IED हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से On the job Hands on expereience Training के रूप मे किया जाना है तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान विशेष शिक्षा से संबंधित विभिन्न शैक्षिक बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है। प्रशिक्षण में स्वयं सेवी संस्था अरूषि भोपाल द्वारा निर्मित एवं डाइट्स मे उपलब्ध CWSN से संबंधित सक्सेस स्टोरी की C.D. का प्रदर्शन किया जाना है तथा प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम एक दिवस ऐसे विद्यालय/छात्रावास का भ्रमण अनिवार्यतः कराया जाना है जहां समावेशित शिक्षा अन्तर्गत CWSN अध्ययनरत हों ताकि प्रशिक्षण अवधि के दौरान CWSN की आवश्यकता अनुरूप उन्हें दिये जाने वाले अकादमिक इनपुट, प्रबंधकीय कौशलों, उपचारात्मक शिक्षण, TLM मॉडिफिकेशन, वैयक्तिक शैक्षिक योजना आदि का अनुभव सहभागी शिक्षकों को प्राप्त हो सके एवं प्रशिक्षण प्राप्ति उपरांत वे अर्जित ज्ञान का उपयोग शालाओं में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हित मे कर सकें।

5 प्रशिक्षण के समय डाइट के पी.जी.पी.डी. प्रशिक्षित व्याख्याता/शिक्षक अथवा डाइट के आईईडी प्रभारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे एवं वे ही प्रशिक्षण के प्रभारी रहेंगे।

6 प्रशिक्षण हेतु निर्धारित राशि संबंधित जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा प्राचार्य डाइट/डीआरसी को उपलब्ध कराया जाकर प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण का व्यय SSA-IED मद में बुक किया जाना है ।

7 प्रशिक्षण हेतु समस्त प्रशिक्षकों/सहभागी शिक्षकों का चयन तथा प्रशिक्षण की सूचना देकर उनकी उपस्थिति का दायित्व संबंधित प्राचार्य डाइट/डीआरसी तथा जिला परियोजना समन्वयक की होगी। इस हेतु जिले की SSA-IED की समस्त गतिविधियों हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था का सहयोग MoU अनुसार लिया जावे।

8 इसके अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तर पर कुछ स्वयं संवी संस्थाओं द्वारा निःशक्तता के अन्तर्गत CWSN हेतु विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां सम्पन्न कराई जा रही हैं। ऐसी संस्थाओं से भी तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है।

9 उक्त प्रशिक्षण का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिला शिक्षा केन्द्र तथा राज्य शिक्षा केन्द्र के आईईडी कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवेदन निम्नलिखित बिन्दुओं पर बनाया जाए–

1. प्रस्तावना, 2. प्रशिक्षण के उद्देश्य 3. प्रशिक्षण की समयसारणी 4. लक्ष्य एवं उपलब्धि 5. प्री एवं पोस्ट टेस्ट विश्लेषण 6. प्रशिक्षणार्थियों का विवरण 7. प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ 8.मदवार व्यय राशि 9. उपयोगिता प्रमाण पत्र 10.समस्या एवं सुझाव।

संलग्न –1. उपरोक्तानुसार नॉर्म्स।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ0क्र0/राशिके/ आईईडी/2011–12/982 भोपाल, दिनांक 27/1/12

प्रतिलिपिः–

1. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. अध्यक्ष/सचिव संबंधित स्वयं सेवी संस्था की ओर सूचनार्थ एवं जिला स्तर पर हुए MoU की कण्डिका द्वितीय पक्षकार के दायित्य कमांक 7 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.sss.mp.gov.in/circulars.htm/ एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र ,भोपाल

समावेशित शिक्षा संबंधी 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण पर व्यय के नार्म्स (2011–12)

गतिविधियां	व्यय के नार्म्स
शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण। प्रतिभागी संख्या–30 उपलब्ध राशि रू. 30,000/–(प्रति विकासखंड)	• स्टेशनरी – 25×30 = 750/– • भोजन एवं आवास– 50×30× 5 = 7500/– • फोटोकापी, –10×30 = 300/– • कंटिंजेसी– 3000/–(प्रति बैच एक बार) • स्रोत पुरूष मानदेय– 120×5×5 = 3000/– • विशेष TLM निर्माण –25×30 = 750/– • प्रशिक्षण सामग्री–30×30 = 900/– • भ्रमण हेतु वाहन– 2800/– (अधिकतम) • टी.ए/डी.ए. – शासकीय नियमानुसार।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल